न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल आर.ए.एस)

मुकदमा नं0:—264 / 22

श्री गांधी सेवा सदन बयाना जरिये मंत्री श्री रामभरोसी पुत्र मांगीलाल, जाति वैश्य, निवासी कस्बा बयाना, तहसील बयाना, जिला भरतपुर (राजस्थान) मंत्री गांधी सेवा सदन बयाना (मृतक)
1/1 श्री गांधी सेवा सदन, बयाना जरिये नरेन्द्र कुमार पुत्र रामप्रसाद शर्मा बयाना ....वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरियेः—

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, भरतपुर (राजस्थान)
2. तहसीलदार, बयाना

................प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांकः— 23/12/2025

निर्णय

उपस्थितः— श्री भारत भूषण बंसल एडवोकेट वादी

वादी ने वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि पुराने आराजी खसरा नम्बरान 574 रकवा 1 बीघा 16 विस्वा, 573 रकवा 16 विस्वा, 569 रकवा 18 विस्वा, 570 रकवा 16 विस्वा, 1132 रकवा 05 विस्वा, 1133 रकवा 1 बीघा 11 विस्वा, 1134 रकवा 03 बीघा 18 विस्वा, 1135 रकवा 2 बीघा 16 विस्वा, 1136 रकवा 19 विस्वा, 1137 रकवा 1 बीघा 18 विस्वा, 1141 रकवा 03 बीघा 14 विस्वा, 1143 रकवा 11 विस्वा, 1144 रकवा 01 बीघा 15 विस्वा, 1145 रकवा 03 बीघा 02 विस्वा, 1146 रकवा 1 बीघा 1 विस्वा, 1147 रकवा 05 बीघा 18 विस्वा, 1148 रकवा 2 विस्वा, 1149 रकवा 1 बीघा 14 विस्वा, 1152 रकवा 2 बीघा 10 विस्वा, 1154 रकवा 3 बीघा 10 विस्वा, 1155 रकवा 1 बीघा 13 विस्वा, 1156 रकवा 2 बीघा 11 विस्वा, 1157 रकवा 2 बीघा 4 विस्वा, 1158 रकवा 2 बीघा 18 विस्वा, 1159 रकवा 2 बीघा 07 विस्वा, 1160 रकवा 3 बीघा 13 विस्वा, 1161 रकवा 2 बीघा 09 विस्वा, 1162 रकवा 2 बीघा 12 विस्वा, 1163 रकवा 4 बीघा 7 विस्वा, 1164 रकवा 2 बीघा 4 विस्वा, 1167 रकवा 3 बीघा 11 विस्वा, 1168 रकवा 17 विस्वा, 1150 रकवा 5 विस्वा, 1170 रकवा 4 विस्वा, 575 रकवा 11 विस्वा कुल 73 बीघा 09 विस्वा कुल किता 34 कस्बा बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर में स्थित है। जिनका इन्द्राज रेवेन्यू रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार मुझ वादी के हक में इन्द्राज हो रहा था। उक्त आराजीयात के नवीन खसरा नम्बरान 1136 रकवा 0.06 एयर, 1137 रकवा 0.03 एयर, 1177 रकवा 1.53 एयर, 1182 रकवा 0.42 एयर, 1184 रकवा 0.63 एयर, 1186 रकवा 0.32 एयर, 1188 रकवा 0.30 एयर, 1189 रकवा 0.45 एयर, 1190 रकवा 0.19 एयर, 1206 रकवा 0.06 एयर, 1207 रकवा 0.05 एयर, 2132 रकवा 0.12 एयर, 1233 रकवा 0.02 एयर, 1238 रकवा 0.24 एयर, 1239 रकवा 0.52 एयर, 1240 रकवा 0.33 एयर, 1241 रकवा 0.10 एयर, 1242 रकवा 0.07 एयर, 1243 रकवा 0.15 एयर, 1244 रकवा 0.03 एयर, 1245 रकवा 0.20 एयर, 1246 रकवा 0.16 एयर, 1247 रकवा 0.05 एयर, 1248 रकवा 0.05 एयर, 1249 रकवा 0.05 एयर, 1250 रकवा 0.07 एयर, 1251 रकवा 0.46 एयर, 1252 रकवा 0.13 एयर, 1253 रकवा 0.22 एयर, 1254 रकवा

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज

0.21 एयर, 1255 रकबा 0.26 एयर, 1256 रकबा 0.06 एयर, 1257 रकबा 0.03 एयर, 1258 रकबा 0.06 एयर, 1259 रकबा 0.05 एयर, 1260 रकबा 0.09 एयर, 1261 रकबा 0.25 एयर, 1262 रकबा 0.36 एयर, 1263 रकबा 0.07 एयर, 1264 रकबा 0.14 एयर, 1265 रकबा 0.27 एयर, 1266 रकबा 0.15 एयर, 1267 रकबा 0.09 एयर, 1268 रकबा 0.07 एयर, 1269 रकबा 0.04 एयर, 1270 रकबा 0.01 एयर, 1271 रकबा 0.19 एयर, कुल किता 47 कुल रकबा 9.41 हैक्ट. वाके कस्बा बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर में स्थित है। वादी उक्त वर्णित आराजीयात पर सम्वत् 2012 से पूर्व से लेकर आज दिन तक काबिज चला आ रहा है और वादी ही इस आराजीयात पर काश्त करता चला आ रहा है इसलिये वादी को खातेदारी हकूक प्राप्त हो गये है तथा राज लगान भी वादी अदा करता चला आ रहा है। वादी ने इस आराजीयात की चारों तरफ से पक्की मेढ बन्दी करा रखी है। राजस्व रिकार्ड में वादी वहैसियत खातेदार दर्ज रहे है। उक्त वर्णित आराजीयात पर वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावशील होने व जमींदारी विस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होने के पश्चात वादी उक्त वर्णित आराजीयात पर खातेदार काश्तकार है जिसका इन्द्राज तत्कालीन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2014 से लेकर 2017 में अंकित है इसलिए वादी उक्त आराजीयात में स्वतः खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। सम्वत् 2021 की जमाबन्दी में वादी, उक्त वर्णित आराजीयात में से आराजी खसरा नम्बरान 1137 रकबा 1 बीघा 18 विस्वा, 1141 रकबा 3 बीघा 14 विस्वा, 1143 रकबा 11 विस्वा, 1144 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा, 1145 रकबा 3 बीघा 2 विस्वा, व 1146 रकबा 1 बीघा 1 विस्वा किता 6 कुल रकबा 12 बीघा 1 विस्वा वाके कस्बा बयाना तहसील बयाना कि जिनके राजस्व रिकार्ड में नवीन आराजी खसरा संख्या 1170 रकबा 0.03, 1171 रकबा 0.03, 1172 रकबा 0.13, 1173 रकबा 0.06, 1174 रकबा 0.01, 1175 रकबा 0.14, 1176 रकबा 0.16, 1179 रकबा 0.35, 1180 रकबा 0.24, 1181 रकबा 0.13, 1183 रकबा 0.67 किता 11 कुल रकबा 1.95 हैक्ट. दर्ज किया गया है को बिना किसी आदेश व बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से बिना किसी नामान्तकरण के वादी को सुनवाई का मौका दिये बिना वादी की गैर जानकारी में खिलाफ कानून व खिलाफ मौका चारागाह में दर्ज कर दिया गया जो कि कानूनन गलत है जबकि वादी के यह नम्बरान कभी भी चारागाह में नहीं रहे है ना इस पर कभी पशु चरे हैं और न ही यह आराजीयात चारागाह के काम में कभी आई थी इन आराजी खसरा नम्बरान पर भी वादी आज तक बदस्तूर काश्त करता चला आ रहा है जिसका अंकन तत्कालीन राजस्व रिकार्ड में अंकित है। सैटिलमैंट के दौरान वर्णित आराजी को वादी की खातेदारी में पिछले कागजात पटवार में वादी के खातेदार होने के आधार पर स्वतः ही चारागाह को कलमजन करके उक्त वर्णित आराजीयात पर वादी खातेदार काश्तकार कागजात पटवार में दर्ज चला आ रहा था लेकिन सैटिलमैंट के कर्मचारी व अधिकारियों की गैर जिम्मेदारी व मनमानी व गलत रूप से सैटिलमैंट नियमों को वलाए ताक रखकर वादी को सुनवाई का अवसर दिये बिना, पूर्व रिकार्ड की अनदेखी करते हुये वादी को बजाय खातेदार के पट्टेदार बना दिया जो कि खिलाफ मौका व कानूनन के है। उक्त वर्णित आराजीयात पर सम्वत 2012 से लेकर फसल चना, सरसों, गेंहू, बाजरा आदि की पैदा करके आज दिन तक काश्त करता चला आ रहा है तथा वर्तमान में बाजरा व तिली की फसल बोई हुई है जो सरसब्ज खडी है तो ऐसी स्थिति में वादी को इस बात की कोई जानकारी राजस्व कर्मचारी व अधिकारियों ने नहीं होने दी न इस बाबत वादी को कोई सूचना ही दी, सैटिलमैंट के कर्मचारियों ने भी न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों को बलाए ताक रखकर (इन दी प्रिसीपल ऑफ नैच्यूरल जस्टिस) के सिद्वान्तों की परवाह किये बिना वादी को इन खसरा नम्बरान पर खातेदार की बजाय पट्टेदार वना दिया जो कि पूर्व में कागजात पटवार में खातेदार काश्तकार दर्ज थे लेकिन उस अंकन को नजरअन्दाज करते हुये गलत व गैर कानूनी इन्द्राजात को कलमजन कर वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज करना चाहिए था जो नहीं किया गया जबकि वादी इन नम्बरान पर आज भी काश्त करता चला आ रहा है इसलिए कागजात पटवार में सैटिलमैंट द्वारा खातेदार के स्थान पर पट्टेदार दर्ज करना पूर्णतया नियमों के विपरित है जबकि इन नम्बरान पर वादी को पूर्व की

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज

तरह अर्थात सम्वत 2014 लगायत 2017 में इन्द्राज वादी के हक में खातेदार काश्तकार का था उसे ही बदस्तूर किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया, वादी को इस बात की जानकारी होने पर वादी ने उक्त वर्णित आराजीयात पर जो मनमाने व कानून के विरूद्व नियमों को ताक पर रखकर पट्टेदार कर दिये गये थे उन्हें वादी की खातेदारी में दर्ज किया जाना न्यायाहित में आवश्यक था कि जिसके लिए वादी यह वाद पत्र बाबत घोषणा व स्थाई निषेघाज्ञा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हो गया है। वादी ने दिनांक 15.05.2022 को आवश्यक कार्यवश जब नकल ली तब वादी की प्रथम बार जानकारी में आया कि वादी उक्त वर्णित पुराने खसरा किता 6 नम्बरान में व नये किता 11 खसरा नम्बरान में बन्दोवस्त द्वारा खातेदार के स्थान पर पट्टेदार बना दिया गया है जबकि फिलवाकई वादी इन नम्बरान पर सम्वत 2017 तक बदस्तूर खातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है और उसका नाम कागजात पटवार में बतौर खातेदार दर्ज हो रहा था, राजस्व विभाग के कर्मचारी व अधिकारियों द्वारा मनमानी करते हुये बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना जो चारागाह दर्ज कर दिया तथा उस पर सैटिलमैंट ने वादी को खातेदार न बनाकर पट्टेदार बना दिया और आज दिन तक वादी इन नम्बरान पर कागजात पटवार में पट्टेदार दर्ज है जो कि खिलाफ मौका व कानून के है कि जिसके कायम रहने से वादी को सख्त हकतलफी है व वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है व वादी को इस गलत व अवैध इन्द्राज से अकथनीय क्षति हो रही है इसलिए मजबूर होकर व नकलें इत्यादि लेकर वादी को इन नम्बरान पर अपने आपको खातेदार काश्तकार की बाबत घोषणा कराये जाने व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्थायी निषेघाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है चूंकि कानून में प्रतिवादीगण के विरूद्व यह वाद प्रस्तुत करने से पहिले नोटिस मियादी 2 माह देना कानूनन आवश्यक है इसलिए वादी ने दिनांक 27.06.2022 को प्रतिवादीगण को 2 माह का नोटिस जरिये अधिवक्ता श्री भारत भूषण बंसल के द्वारा दिलाया गया जो उन्हें दिनांक 04.07.2022 को मिल गया है उस नोटिस में भी वादी ने यह प्रार्थना की थी कि प्रतिवादीगण नोटिस में वर्णित समस्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुये वादी को उक्त वर्णित आराजीयात पर पट्टेदार की जगह खातेदारी दर्ज करके सूचना वादी को भिजवावे। वादी द्वारा प्रेषित नोटिस प्रतिवादीगण को दिनांक 04.07.2022 को मिल चुका है और उन्होनें उस नोटिस का जबाव प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार बयाना के जरिये वादी के अधिवक्ता को क्रमांक एलआर/22/3766 दिनांक 24.08.2022 को भिजवाया गया जो मुझ वादी के अधिवक्ता को मिल चुका है। लेकिन प्रतिवादीगण ने बाबजूद नोटिस प्राप्त होने के मुझ वादी को वाद पत्र की चरण संख्या 05 में वर्णित आराजीयात पर पट्टेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज नहीं किया इसलिए मजबूरन होकर मुझ वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा प्रस्तुत किया गया है। वादी के वाद पत्र में वर्णित चरण संख्या 01 व 02 में वर्णित आराजीयात में स्वंय के कोई हित नहीं है बल्कि यह गांधी सेवा सदन बयाना की संख्या की सम्पत्ति है जो गरीब व्यक्तियों के उत्थान के लिए व उन्हें रोजगार उपलब्ध कराकर उनके व परिवार के लालन–पालन की यह संस्था है जो आज दिन तक लगातार शोषित व उपेक्षित व गरीब लोगों के जीविकोपार्जन व उनके कल्याण करने के इरादे से आज दिन तक उनके हित में अनवरत रूप से कार्य करती चली आ रही है। मुझ वादी को वाद करण नकल लेने के बाद प्रथम बार जानकारी होने पर दिनांक 15.05.2022 को प्रतिवादीगण को 2 माह का नोटिस देने पर व प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 24.08.2022 को जबाव देने पर व कागजात पटवार में गलत इन्द्राजात की दुरूस्ती न करने पर व धमकी देने के कारण पैदा हुआ है। इसलिए वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्व घोषणा व स्थाई निषेघाज्ञा यह प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। दावा अवधि में पेश है। अन्त में वादी द्वारा निवेदन किया गया कि आराजी खसरा नम्बरान 1137 रकवा 1 बीघा 18 विस्वा, 1141 रकवा 3 बीघा 14 विस्वा, 1143 रकवा 11 विस्वा, 1144 रकवा 1 बीघा 15 विस्वा, 1145 रकवा 3 बीघा 2 विस्वा, व 1146 रकवा 1 बीघा 1 विस्वा किता 6 कुल रकवा 12 बीघा 1 विस्वा वाके कस्बा बयाना तहसील बयाना कि जिनके राजस्व रिकार्ड में नवीन आराजी खसरा संख्या 1170 रकवा

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज.

0.03, 1171 रकवा 0.03, 1172 रकवा 0.13, 1173 रकवा 0.06, 1174 रकवा 0.01, 1175 रकवा 0.14, 1176 रकवा 0.16, 1179 रकवा 0.35, 1180 रकवा 0.24, 1181 रकवा 0.13, 1183 रकवा 0.67 किता 11 कुल रकवा 1.95 हैक्ट. दर्ज किया हुआ है उस अंकन को कलमजन किया जाकर वादी को वाद पत्र की चरण संख्या 1 व 2 के अनुसार वाद पत्र की चरण संख्या 5 में वर्णित आराजी पर कागजात पटवार में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर हक में इस आशय की डिक्री प्रदान की जावें। प्रतिवादीगण को इस आशय से पाबन्द किया जावे वे वाद पत्र की चरण संख्या 5 में वर्णित आराजीयात व उसके किसी भी हिस्से में वादी के उपयोग–उपभोग में विघ्न व बाधा उत्पन्न नहीं करें न अपने किसी प्रतिनिधि द्वारा करावें इस आशय की डिक्री भी प्रतिवादीगण के विरूद्व वादी के हक में प्रदान की जावें।

दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पैरोकार सरकार की ओर से तहसीलदार बयाना ने जबाब दावा दिनांक 03.01.2023 को पेश कर अंकित किया है कि वाद पत्र की बिन्दु संख्या 1 में वर्णित तथ्य आंशिक रूप से स्वीकार है वाद पत्र की बिन्दु संख्या 1 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर मुताबिक मिल हकीयत बन्दोवस्त सं. 2051'2070 के अनुसार खाता नं. 73 में किता 47 रकवा 9.41 हैक्टत्र वाके ग्राम कस्बा बयाना गांधी सेवा सदन बयाना की खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। वाद पत्र की बिन्दु संख्या 2 वर्णित तथ्य स्वीकार किये गये उक्त बिन्दु संख्या में वर्णित आराजी वाके ग्राम कस्बा बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर में स्थित है। वादपत्र के बिन्दु संख्या 3 में वर्णित तथ्य रिपोर्ट पटवारी अनुसार आंशिक रूप से स्वीकार है कि वादी प्रार्थी बिन्दु सं. 1 में वर्णित आराजी पर वर्तमान में काबिज है एवं पक्की मेडबंदी कर रखी है एवं वादी ही उक्त आराजी पर वर्तमान में काश्त कर रहा है व अपने अन्य उपयोग में ले रहा है। वादपत्र के बिन्दु संख्या 4 में वर्णित तथ्य आंशिक रूप से स्वीकर किये गये वादी सं. 2011 लगयात 2014 की जमाबन्दी अनुसार वादपत्र के बिन्दु सं. 1 में वर्णित आराजी पर बतौर खातेदार अंकित रहे है। शेष को प्रमाणित करने का भार वादी पर है। वादपत्र के बिन्दु सं. 5 में वर्णित तथ्य आंशिक रूप से स्वीकार है वादपत्र के बिन्दु सं. 1 में वर्णित आराजी में से बिन्दु सं. 5 में वर्णित आराजी मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संम्बत 2021 में मिश्रित ग्राम की भूमि अर्थात गोचर भूमि दर्ज रिकार्ड है। वाद पत्र की बिन्दु सं. 6 में वर्णित तथ्य आंशिक रूप से स्वीकार है मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व रिकार्ड अनुसार बिन्दु सं. 5 में वर्णित आराजी मिसल हकीयत भू प्रबन्ध विभाग सं. 2051–70 के खाता सं 705 के अनुसार गांधी सेवा सदन पट्टेदार मियाद सं. 2095 तक दर्ज रिकार्ड है। वादपत्र के बिन्दु सं. 7 में वर्णित तथ्य आंशिक रूप से स्वीकार है वादपत्र के बिन्दु सं. 1 में वर्णित आराजी पर मुताबिक रिपोर्ट पटवारी वर्तमान में कुछ रकवे में फसल खडी है। कुछ रकवा खाली पडा हुआ है। पत्रावली में सम्वत 2012 से अब तक फसल संबंधी कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं है जिसको प्रमाणित करने का भार वादी पर है। वाद पत्र के बिन्दु सं. 9 में वर्णित तथ्य आंशिक रूप से स्वीकार है कि वादी द्वारा दिया गया नोटिस प्राप्त हो चुका है एवं जिसका जबाब पत्रांक/एलआर/22/3766 दिनांक 24.08.2022 को वादी के अधिवक्ता को भिजवाया जा चुका है। वाद पत्र की बिन्दु सं. 11 में वर्णित तथ्य स्वीकार नहीं है क्योकि वादी प्रार्थी भूमि पर पट्टेदार है भूमि राजकीय सिवायचक नहीं है। इसलिए वादी को धमकी देने का प्रश्न ही नहीं है यह तथ्य मनगंढत है। अपने विशेष कथन में अंकित किया गया कि वादी प्रार्थी द्वारा वाद पत्र के चरण सं. 5 में वर्णित आराजी किता 11 रकवा 1.95 हैक्ट. में पट्टेदार को कलमजन कर खातेदार घोषित कराने हेतु वाद प्रस्तुत किया है। जबकि वादी भू प्रबन्ध विभाग की मिसल हकीयत सं. 2051–2070 के खाता सं. 705 में गांधी सेवा सदन पट्टेदार मियाद सं. 2095 तक अंकित किया हुआ है। अतः 2095 तक वादी को पट्टेदार को कलमजन कराकर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज

जबाव दावा पैरोकार सरकार की ओर से पेश होने पर प्रकरण निम्नानुसार तनकीयात कायम की गईः–

1. आया वाद पत्र के खण्ड सं. 1 में वर्णित पुराने आराजी खसरा नम्बर काप वादी रेवन्यू रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड थाः– वादी
2. आया वाद पत्र के खण्ड सं. 01 में वर्णित आराजीयात दौराने भू–प्रबन्ध बनी खसरा नम्बर वाद पत्र की मद सं. 02 में वर्णित है का वादी वाद पत्र की मद सं. 04 अनुसार विवादित आराजी का वादी खातेदार, काश्तकार काबिज आराजी है। :– वादी
3. आया वाद पत्र की मद सं. 05 अनुसार नवीन आराजी खसरा नम्बर को विना सक्षम अधिकारी के आदेश से ही उक्त आराजीयात को चारागाह दर्ज कर दिया।:– वादी
4. आया वाद पत्र की खण्ड सं. 07 अनुसार वादी को सैटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा खातेदार के बजाय पट्टेदार बना दिया जो पूर्व में खातेदार काश्तकार थे।:– वादी
5. आया वादी विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषणा करा पाने का अधिकारी हैः– वादी
6. आया वाद उत्तरवाद के मद सं. 05 अनुसार विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड अनुसार जमाबन्दी 2021 में मिश्रित ग्राम की भूमी अर्थात गौचर भूमि दर्ज हैः– प्रतिवादी
7. आया उत्तरवाद के मद सं0 12 अनुसार भू–प्रबन्ध विभाग की मिसल हकीयत 2051–70 के खाता सं. 705 में गांधी सेवा सदन पट्टेदार मियाद सं0 2095 तक अंकित है। वादी को पट्टेदार कलमजन कराकर खातेदार अधिकार प्राप्त नहीं होते हैः– प्रतिवादी

साक्ष्यवादी में दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग, प्रदर्श–2 जमाबन्दी 2014, प्रदर्श– 3 व 4 जमाबन्दी 2021 किता 2, प्रदर्श–5 जमाबन्दी 2025, प्रदर्श–6 जमाबन्दी भू प्रबन्ध विभाग सम्वत 2051–70, प्रदर्श–7 जमाबन्दी 2076–79, प्रदर्श–8– 80 सीपीसी नोटिस, प्रदर्श– 9 व 10 रसीदे (रजि0 डाक) मौखिक साक्ष्य में PW 1 राकेश कुमार गुप्ता, PW 2 नरेन्द्र शर्मा, PW 3 महेन्द्र सिंह घाकड़, के शपथ पत्र पेश हुये। साक्ष्य प्रतिवादी में कोई साक्ष्य पेश नहीं होने पर आदेशिका दिनांक 28.01.2025 से बन्द की गई।

हमने एड0 वादी को एक पक्षीय सुना। एड0 वादी का कथन है कि विवादित आराजी कभी भी चारागाह के रूप में दर्ज नहीं रही एव ना ही अनओक्यूप्राइड रही। विवादित आराजी गांधी सेवा सदन की खातेदारी की भूमि है। सैटलमेन्ट से पूर्व ही राजस्व कर्मचारियों की सहवन लिपिकीय भूल से विवादित आराजी चारागाह, उसके बाद दौराने सेटलमेन्ट पट्टेदार दर्ज कर दी जबकि विवादित आराजी सम्वत 2014–17 में गांधी सेवा सदन के नाम खातेदारी दर्ज अभिलेख है। विवादित आराजी में पूर्व से लेकर आज तक गांधी सेवा सदन का ही कब्जाकाश्त है। चारों ओर पूर्व से ही पक्की दीवाल बनाई हुई है। बीच में पुराना कुऑ है। पत्रावली में सलग्न राजस्व रिकार्ड प्रदर्श–1 से लेकर 8 का अवलोकन कराते हुए वाद–वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया, साथ ही एड0 वादी द्वारा कथन किया कि श्री गांधी सेवा सदन सोसायटी बयाना, खादी और ग्रामोधोग कमीशन, मुम्बई (कानून 61 सन् 1956 द्वारा स्थापित) द्वारा प्रमाण पत्र संख्या N2CC/राजस्थान/2489 द्वारा प्रमाणित संस्था है, और इस सम्बंध में खादी और ग्रामोधोग कमीशन के दस्तावेज पेश किये।

विद्वान अभिभाषक वादी को सुनने के उपरान्त तनकीबार विवेचन निम्नानुसार हैः–

तनकी नम्बरः– 1 **आया वाद पत्र के खण्ड सं. 1 में वर्णित पुराने आराजी खसरा नम्बर काप वादी रेवन्यू रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड थाः–** इस तनकी को सिद्व करने का अधिकार वादी का है। वादी ने अपने दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श– 1 से लेकर 7 एवं मौखिक साक्ष्य PW 1, PW 2, PW 3 पेश किये। प्रदर्श–1 मिलान क्षेत्रफल किता 3 है जिसके अनुसार नवीन आराजी खसरा

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज

संख्या 1170 रकवा 0.03, 1171 रकवा 0.03, 1172 रकवा 0.13, 1173 रकवा 0.06, 1174 रकवा 0.01, 1175 रकवा 0.14, 1176 रकवा 0.16, 1179 रकवा 0.35, 1180 रकवा 0.24, 1181 रकवा 0.13, 1183 रकवा 0.67 किता 11 कुल रकवा 1.95 हैक्ट. दर्ज किया हुआ है पुराने खसरा नम्बरान 1137 रकवा 1 बीघा 18 विस्वा, 1141 रकवा 3 बीघा 14 विस्वा, 1143 रकवा 11 विस्वा, 1144 रकवा 1 बीघा 15 विस्वा, 1145 रकवा 3 बीघा 2 विस्वा, व 1146 रकवा 1 बीघा 1 विस्वा किता 6 कुल रकवा 12 बीघा 1 विस्वा वाके कस्वा बयाना तहसील बयाना बनाए गए है। प्रदर्श–3 (जमाबन्दी 2012) उक्त साविक खसरा नम्बर गांधी सेवा सदन बयाना के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श–6 जमाबन्दी 2051–70 अनुसार नवीन खसरा नम्बर 1170 रकवा 0.03, 1171 रकवा 0.03, 1172 रकवा 0.13, 1173 रकवा 0.06, 1174 रकवा 0.01, 1175 रकवा 0.14, 1176 रकवा 0.16, 1179 रकवा 0.35, 1180 रकवा 0.24, 1181 रकवा 0.13, 1183 रकवा 0.67 किता 11 कुल रकवा 1.95 हैक्ट. गांधी सेवा सदन पट्टेदार दर्ज अभिलेख है। प्रदर्श–7 जमाबन्दी 2076–79 अनुसार नवीन खसरा नम्बर 1170 रकवा 0.03, 1171 रकवा 0.03, 1172 रकवा 0.13, 1173 रकवा 0.06, 1174 रकवा 0.01, 1175 रकवा 0.14, 1176 रकवा 0.16, 1179 रकवा 0.35, 1180 रकवा 0.24, 1181 रकवा 0.13, 1183 रकवा 0.67 किता 11 कुल रकवा 1.95 हैक्ट गांधी सेवा सदन हिस्सा पूर्ण पट्टेदार अ.वि.व म्याद सम्वत 2095 तक दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श– 3 (जमा0 2011–14) अनुसार पुराने ख0 न0 1137, 1141, 1143, 1144, 1145, 1146, किता 06 रकवा 12 बीघा 1 विस्वा के कॉलम संख्या 05 में गांधी सेवा सदन बयाना दर्ज रिकार्ड है जबकि इसी कॉलम में उक्त पुराने खसरा नम्बर के प्रारम्भ में चा0 अंकित किया हुआ है। उक्त पुराने खसरा नम्बर के आगे चा0 शब्द का क्या मतलब है स्पष्ट नहीं क्या उक्त खसरा नम्बरान की किस्म चाही मानी जावें अथावा चारागाह? पुनः भूप्रबन्ध के दौराने उक्त आराजीयात को गांधी सेवा सदन, हिस्सा पूर्ण पट्टेदार अ.वि.व मियाद सम्वत 2095 तक, दर्ज किया है। उक्त अकंन किस आदेश के तहत किया गया है किसी भी जमाबन्दी में अंकन नहीं है। जबकि राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार के अंकन को बदला जाता है जो विशेष विवरण के कॉलम में आदेश अंकन किया जाता है। परन्तु पत्रावली में सलंग्न राजस्व रिकार्ड के इस प्रकार का कोई अंकन न हीं है। PW 1 राकेश कुमार, PW 2 नरेन्द्र शर्मा, PW 3 महेन्द्र सिंह धाकड द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों में PW 1 राकेश कुमार ने यह कलमबद्व कराया है कि विवादित आराजीयात पर गांधी सेवा सदन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावशील होने व जमीदारी, विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होने के पश्चात विवादित आराजीयात पर खातेदार काश्तकार है विवादित आराजी को बिना किसी आदेश व सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना किसी नामान्तकरण के गांधी सेवा सदन को सुनवाई का मौका दिये बिना व वादी गांधी सेवा सदन की गैर जानकारी में खिलाफ कानून व खिलाफ मौका चारागाह में दर्ज कर दिया है। इसी प्रकार PW 2 नरेन्द्र शर्मा, PW 3 महेन्द्र सिंह धाकड द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों में जमाबन्दी सम्वत 2021 गांधी सेवा सदन खातेदार काश्तकार एव बाद में पट्टेदार होने की वात कलमवद्व कराई गई है। प्रदर्श 2 जमाबन्दी सम्वत 2014 में कॉलम 5 नाम कृषक विवरण सहित में गांधी सेवा सदन मजकूर दर्ज रिकार्ड था। इसी प्रकार प्रदर्श 3 व 4 जमाबन्दी सम्वत 2021 कॉलम 5 कृषक के विवरण में गांधी सेवा सदन बयाना दर्ज रिकार्ड था। प्रदर्श 5 जमाबन्दी सम्वत कृषक

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज

के कॉलम में गांधी सेवा सदन बयाना खातेदार वर्ज रिकार्ड था। प्रदर्श 6 जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग सम्वत 2051–70 में गांधी सेवा सदन पट्टेदार मोयाद सम्वत 2095 तक वर्ज रिकार्ड हुआ। प्रदर्श 01 लगायत 05, जबाव दावा तहसीलदार बयाना, एवं शपथ पत्र PW 1, PW 2, PW 3 के आधार पर यह तनकी पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नम्बर–2 आया वाद पत्र के खण्ड सं. 01 में वर्णित आराजीयात दौराने भू–प्रबन्ध बनी खसरा नम्बर वाद पत्र की मद सं. 02 में वर्णित है का वादी वाद पत्र की मद सं. 04 अनुसार विवादित आराजी का वादी खातेदार, काश्तकार काबिज आराजी है।:– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी का है वादी द्वारा प्रदर्श 1 मिलान क्षेत्रफल भूप्रबन्ध विभाग से सिद्ध किया है वाद पत्र की मद संख्या 01 में वर्णित आराजीयात खसरा नम्बरान 574 रकवा 1 बीघा 16 विस्वा, 573 रकवा 16 विस्वा, 569 रकवा 18 विस्वा, 570 रकवा 16 विस्वा, 1132 रकवा 05 विस्वा, 1133 रकवा 1 बीघा 11 विस्वा, 1134 रकवा 03 बीघा 18 विस्वा, 1135 रकवा 2 बीधा 16 विस्वा, 1136 रकवा 19 विस्वा, 1137 रकवा 1 बीघा 18 विस्वा, 1141 रकवा 03 बीघा 14 विस्वा, 1143 रकवा 11 विस्वा, 1144 रकवा 01 बीघा 15 विस्वा, 1145 रकवा 03 बीघा 02 विस्वा, 1146 रकवा 1 बीघा 1 विस्वा, 1147 रकवा 05 बीघा 18 विस्वा, 1148 रकवा 2 विस्वा, 1149 रकवा 1 बीघा 14 विस्वा, 1152 रकवा 2 बीघा 10 विस्वा, 1154 रकवा 3 बीघा 10 विस्वा, 1155 रकवा 1 बीघा 13 विस्वा,1156 रकवा 2 बीघा 11 विस्वा, 1157 रकवा 2 बीघा 4 विस्वा, 1158 रकवा 2 बीघा 18 विस्वा, 1159 रकवा 2 बीघा 07 विस्वा, 1160 रकवा 3 बीघा 13विस्वा, 1161 रकवा 2 बीघा 09 विस्वा, 1162 रकवा 2 बीघा 12 विस्वा, 1163 रकवा 4 बीघा 7 विस्वा, 1164 रकवा 2 बीघा 4 विस्वा, 1167 रकवा 3 बीघा 11 विस्वा, 1168 रकवा 17 विस्वा, 1150 रकवा 5 विस्वा, 1170 रकवा 4 विस्वा, 575 रकवा 11 विस्वा कुल 73 बीघा 09 विस्वा कुल किता 34 से ही मद संख्या 02 में वर्णित आराजीयात नवीन खसरा नम्बरान 1136 रकवा 0.06 एयर, 1137 रकवा 0.03 एयर, 1177 रकवा 1.53 एयर, 1182 रकवा 0.42 एयर, 1184 रकवा 0.63 एयर, 1186 रकवा 0.32 एयर, 1188 रकवा 0.30 एयर, 1189 रकवा 0.45 एयर, 1190 रकवा 0.19 एयर, 1206 रकवा 0.06 एयर, 1207 रकवा 0.05 एयर, 2132 रकवा 0.12 एयर, 1233 रकवा 0.02 एयर, 1238 रकवा 0.24 एयर, 1239 रकवा 0.52 एयर, 1240 रकवा 0.33 एयर, 1241 रकवा 0.10 एयर, 1242 रकवा 0.07 एयर, 1243 रकवा 0.15 एयर, 1244 रकवा 0.03 एयर, 1245 रकवा 0.20 एयर, 1246 रकवा 0.16 एयर, 1247 रकवा 0.05 एयर, 1248 रकवा 0.05 एयर, 1249 रकवा 0.05 एयर, 1250 रकवा 0.07 एयर, 1251 रकवा 0.46 एयर, 1252 रकवा 0.13 एयर, 1253 रकवा 0.22 एयर, 1254 रकवा 0.21 एयर, 1255 रकवा 0.26 एयर, 1256 रकवा 0.06 एयर, 1257 रकवा 0.03 एयर, 1258 रकवा 0.06 एयर, 1259 रकवा 0.05 एयर, 1260 रकवा 0.09 एयर, 1261 रकवा 0.25 एयर, 1262 रकवा 0.36 एयर, 1263 रकवा 0.07 एयर, 1264 रकवा 0.14 एयर, 1265 रकवा 0.27 एयर, 1266 रकवा 0.15 एयर, 1267 रकवा 0.09 एयर, 1268 रकवा 0.07 एयर, 1269 रकवा 0.04 एयर, 1270 रकवा 0.01 एयर, 1271 रकवा 0.19 एयर, कुल किता 47 कुल रकवा 9.41 हैक्ट. वाके कस्बा बयाना तहसील बयाना बने है। तहसीलदार बयाना ने जबाव दावा की मद संख्या 3 में अंकित किया है कि वादी प्रार्थी उक्त वर्णित आराजीयात पर

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज

वर्तमान में काबिज है एवं पक्की मेडबंदी कर रखी है एवं वादी ही उक्त आराजी पर वर्तमान में काश्त कर रहा है। व अपने उपयोग–उपभोग में ले रहा है। प्रदर्श 2 जमाबन्दी सम्वत 2014 में कॉलम 5 नाम कृषक विवरण सहित में गांधी सेवा सदन मजकूर दर्ज रिकार्ड था। इसी प्रकार प्रदर्श 3 व 4 जमाबन्दी सम्वत 2021 कॉलम 5 कृषक के विवरण में गांधी सेवा सदन बयाना दर्ज रिकार्ड था। प्रदर्श 5 जमाबन्दी सम्वत कृषक के कॉलम में गांधी सेवा सदन बयाना खातेदार दर्ज रिकार्ड था। प्रदर्श 6 जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग सम्वत 2051–70 एवं प्रदर्श 7 जमाबन्दी सम्वत 2076–798 में गांधी सेवा सदन पूर्ण पट्टेदार मियाद सम्वत 2095 दर्ज रिकार्ड है। गवाह PW 1, PW 2, PW 3 ने भी अपन शपथ पत्रों में खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी होना कलमबद्ध कराया है। अतः यह तनकी भी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नम्बर 3–आया वाद पत्र की मद सं. 05 अनुसार नवीन आराजी खसरा नम्बर को बिना सक्षम अधिकारी के आदेश से ही उक्त आराजीयात को चारागाह दर्ज कर दिया।:– इस तनकी को सिद्व करने का भार भी वादी का ही है। वादी ने मद संख्या 05 में अंकित किया है कि सम्वत् 2021 की जमाबन्दी में वादी, उक्त वर्णित आराजीयात में से आराजी खसरा नम्बरान 1137 रकवा 1 बीघा 18 विस्वा, 1141 रकवा 3 बीघा 14 विस्वा, 1143 रकवा 11 विस्वा, 1144 रकवा 1 बीघा 15 विस्वा, 1145 रकवा 3 बीघा 2 विस्वा, व 1146 रकवा 1 बीघा 1 विस्वा किता 6 कुल रकवा 12 बीघा 1 विस्वा वाके कस्बा बयाना तहसील बयाना कि जिनके राजस्व रिकार्ड में नवीन आराजी खसरा संख्या 1170 रकवा 0.03, 1171 रकवा 0.03, 1172 रकवा 0.13, 1173 रकवा 0.06, 1174 रकवा 0.01, 1175 रकवा 0.14, 1176 रकवा 0.16, 1179 रकवा 0.35, 1180 रकवा 0.24, 1181 रकवा 0.13, 1183 रकवा 0.67 किता 11 कुल रकवा 1.95 हैक्ट. दर्ज किया गया है को बिना किसी आदेश व बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से बिना किसी नामान्तकरण के वादी को सुनवाई का मौका दिये बिना वादी की गैर जानकारी में खिलाफ कानून व खिलाफ मौका चारागाह में दर्ज कर दिया गया जो कि कानूनन गलत है जबकि वादी के यह नम्बरान कभी भी चारागाह में नहीं रहे है ना इस पर कभी पशु चरे हैं और न ही यह आराजीयात चारागाह के काम में कभी आई थी इन आराजी खसरा नम्बरान पर भी वादी आज तक बदस्तूर काश्त करता चला आ रहा है जिसका अंकन तत्कालीन राजस्व रिकार्ड में अंकित है। प्रदर्श 2 जमाबन्दी सम्वत 2014, प्रदर्श 3 व 4 जमाबन्दी सम्वत 2021, प्रदर्श 5 जमाबन्दी सम्वत 2025 अनुसार गांधी सेवा सदन बयाना खातेदार काश्तकार काबिज आराजी रहा है। तहसीलदार बयाना के जबाव दावा की मद संख्या 01 उक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर मुताबिक मिसल हकीयत बन्दोवस्त सं. 2051–70 के अनुसार खाता नं. 73 में किता 47 रकवा 9.41 हैक्ट वाके ग्राम कस्बा बयाना गांधी सेवा सदन बयाना की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श 8 में तहसीलदार बयाना ने जबाव नोटिस 80 सी.पी.सी पत्रांक/LR/22/3766 दिनांक 24.08.2022 की बिन्दु संख्या 5 में अंकित किया है कि जमाबन्दी सम्वत 2018–21 में उक्त वर्णित आराजी को जमाबन्दी के खाता संख्या 457 में "मिश्रित ग्राम की भूमि अथवा भूमि जो ग्राम के पशुओं के चरने या अन्य कार्य में प्रयोग में लाई जाती है" के खाते में दर्ज कर दिया गया है परन्तु रिकार्ड का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि उक्त अंकन किस आदेश अथावा नामान्तकरण से किया गया है क्योंकि इससे

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज

पूर्व की जमाबन्दी में भी उक्त अंकन से सम्बन्धित कोई नोट विशेष विवरण में अंकित नहीं है एवं न ही जमाबन्दी सम्वत 2018–21 जिसमें उक्त अंकन किया गया है का नामान्तकरण संख्या का अंकन है। जबकि किसी भी अंकन को जमाबन्दी में अंकन करने के लिए नामान्तकरण अथवा शुद्धि पत्र होना आवश्यक है। जिसका नोट सम्बन्धित जमाबन्दी में भी लगाना आवश्यक है। अर्थात पुराने रिकार्ड से यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस आदेश, नामान्तकरण, शुद्धि पत्र से उक्त वर्णित भूमि खातेदारी से चारागाह में दर्ज हुई है। अतः यह तनकी भी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नम्बर 4– **आया वाद पत्र की खण्ड सं. 07 अनुसार वादी को सैटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा खातेदार के बजाय पट्टेदार बना दिया जो पूर्व में खातेदार काश्तकार थे।**:– वादी प्रदर्श 2 लगायत 5 जमाबन्दी सम्वत 2014, 2021, 2025 तक खातेदार काश्तकार रहा है। प्रदर्श 6 जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग सम्वत 2051–70 में गांधी सेवा सदन पट्टेदार मियाद सम्वत 2095 दर्ज हुआ। उक्त रिकार्ड से स्पष्ट है कि वादी गांधी सेवा सदन पूर्व में खातेदार काश्तकार रहा है। प्रदर्श 6 में वादी गांधी सेवा सदन पट्टेदार होने का अंकन है। तनकी नम्बर 1 लगायत 3 वादी के पक्ष में तय की जा चुकी है। अतः यह तनकी भी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी नम्बर 5:– **आया वादी विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषणा करा पाने का अधिकारी है।**:– चूंकि तनकी नम्बर 01 लगायत 04 वादी के पक्ष में तय की जा चुकी है। अतः यह तनकी भी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी नम्बर 6– **आया वाद उत्तरवाद के मद सं. 05 अनुसार विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड अनुसार जमाबन्दी 2021 में मिश्रित ग्राम की भूमी अर्थात गौचर भूमि दर्ज है।**:– तहसीलदार बयाना ने जबाब दावा की मद संख्या 5 में अंकित किया है कि बिन्दु संख्या 1 में से बिन्दु संख्या 5 में वर्णित आराजी जमाबंदी सम्वत 2021 में मिश्रित ग्राम की भूमि अर्थात गोचर भूमि दर्ज रिकार्ड है। जबाव नोटिस 80 सी.पी.सी तहसीलदार बयना ने अपने पत्रांक/LR/22/3766 दिनांक 24.08.2022 की बिन्दु संख्या 5 में अंकित किया है कि जमाबन्दी सम्वत 2018–21 में उक्त वर्णित आराजी को जमाबन्दी के खाता संख्या 457 में "मिश्रित ग्राम की भूमि अथवा भूमि जो ग्राम के पशुओं के चरने या अन्य कार्य में प्रयोग में लाई जाती है" के खाते में दर्ज कर दिया गया है। परन्तु जबाव दावा की मद संख्या 3 में अंकित किया है मद संख्या 1 में वर्णित आराजी पर वर्तमान में वादी काबिज है एवं पक्की मेडबंदी कर रखी है एवं वादी ही उक्त आराजी पर वर्तमान में काश्त कर रहा है व अपने अन्य उपयोग में ले रहा है। मद संख्या 1 की समस्त आराजी में से ही मद संख्या 5 में वर्णित आराजी है जो चारागाह दर्ज रिकार्ड हुई है। चूंकि यह तनकी मुताबिक रिकार्ड है। इसका खण्डन नहीं किया जा सकता है। यह तनकी विरूद्व वादी तय की जाती है।

तनकी नम्बर 7– **आया उत्तरवाद के मद सं0 12 अनुसार भू–प्रबन्ध विभाग की मिसल हकीयत 2051–70 के खाता सं. 705 में गांधी सेवा सदन पट्टेदार मियाद सं0 2095 तक अंकित है। वादी को पट्टेदार कलमजन कराकर खातेदार अधिकार प्राप्त नहीं होते है:**–चूंकि तनकी नम्बर 01 लगायत 05 वादी के पक्ष में तय की जा चुकी है। यह तनकी भी पक्ष वादी विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज

प्रकरण में चूंकि तनकी संख्या 01 लगायत 05 व 07 वादी के पक्ष में तय की जा चुकी है। दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः दावा वादी श्री गांधी सेवा सदन बयाना जो कि खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन (कानून 61 सन् 1956 द्वारा संस्थापित) द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त संस्था है, स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा नम्बरान 1137 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 1141 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, 1143 रकबा 11 बिस्वा, 1144 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 1145 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, व 1146 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा किता 6 कुल रकबा 12 बीघा 1 बिस्वा वाके करबा बयाना तहसील बयाना कि जिनके राजस्व रिकार्ड में नवीन आराजी खसरा संख्या 1170 रकबा 0.03, 1171 रकबा 0.03, 1172 रकबा 0.13, 1173 रकबा 0.06, 1174 रकबा 0.01, 1175 रकबा 0.14, 1176 रकबा 0.16, 1179 रकबा 0.35, 1180 रकबा 0.24, 1181 रकबा 0.13, 1183 रकबा 0.67 किता 11 कुल रकबा 1.95 हैक्ट. वाके करबा बयाना में पट्टेदार दर्ज किया हुआ है के अंकन को कलमजन किया जाकर वादी (गांधी सेवा सदन, बयाना) को वर्तमान जमाबन्दी में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को इस आशय के साथ पाबन्द किया जाता है कि उक्त वर्णित आराजीयात व उसके किसी भी हिस्से में वादी के उपयोग–उपभोग में विघ्न व बाधा उत्पन्न नहीं करें न अपने किसी प्रतिनिधि द्वारा करावे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद–तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/12/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(दीपक मित्तल आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज

न्यायालय उप जिला कलक्टर बयाना (भरतपुर)